11.34 करोड़ अधिक खर्च करने समेत मिट्टी व बालू के आपूर्तिकर्ताओं को अधिक भुगतानए 4.51 करोड़ के सेवा कर के अधिक भुगतान पर भी सवाल उठाए गए थे। वहींए कांशीराम-मायावती की मूर्तियों पर 6.68 करोड़ए पत्थर के 60 हाथियों पर 52 करोड़ए अंबेडकर परिवर्तन स्थल पर 1.20 अरबए स्क्रीन वाल पर 14 करोड़ए रखरखाव पर 80 करोड़ए स्मारकों के सुदृढ़ीकरण पर 2.31 अरबए 2.03 अरब म्यूजियम परए 2.72 अरब कांशीराम स्मारक के लिए और पार्क के सौंदर्यीकरण के लिए 90 करोड़ खर्च हुए। सारे काम राजकीय निर्माण निगम के द्वारा कराए गए। इस दौरान निगम के प्रबंध निदेशक सीपी सिंह थे। सीपी सिंह को बतौर ईनाम मायावती सरकार ने पहले दो साल फिर छह महीने का सेवा विस्तार दिया था।

बात लोकायुक्त की जांच रिपोर्ट की कि जाए तो उनके द्वारा कहा गया था कि सबसे बड़ा घोटाला पत्थर ढोने और उन्हें तराशने के काम में हुआ। जांच में कई ट्रकों के नंबर दो पहिया वाहनों के निकले थे। इसके अलावा फर्जी कंपनियों के नाम पर भी करोड़ों रूपये डकारे गए थे। लोकायुक्त ने 14 अरब 10 करोड़ रूपये से ज्यादा की सरकारी रकम का दुरूपयोग पाए जाने की बात कहते हुए डिटेल्स जांच सीबीआई या एसआईटी से कराए जाने की सिफारिश की थी। लोकायुक्त की जांच रिपोर्ट में कुल 199 लोगों को आरोपी माना गया थाए जिसमें मायावती सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी और बाबू सिंह कुशवाहा के साथ ही कई विधायक और तमाम विभागों के बड़े अफसर शामिल थे।

यहां तक तो सब ठीक रहा लेकिन जब यह मसला तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सामने आया तो वह चुनाव प्रचार के दौरान जनता से किए वायदे को भूल गये और उन्होंने जानबूझकर लोकायुक्त द्वारा इस मामले में सीबीआई या एसआईटी जांच कराए जाने की सिफारिश को नजरअंदाज करते हुए जांच सूबे के विजिलेंस डिपार्टमेंट को सौंप दी। विजिलेंस ने एक जनवरी साल 2014 को गोमती नगर थाने में नसीमुद्दीन सिद्दीकी और बाबू सिंह कुशवाहा समेत उन्नीस नामजद व अन्य अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर अपनी जांच शुरू की। एफआईआर में आईपीसी की धारा 120-बी और 409 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की गईए लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से हारने और केन्द्र में मोदी की सरकार बनने के बाद अखिलेश को भविष्य की राजनीति के लिये मायावती के साथ चलने की संभावनाएं नजर आने लगीं थीं तो कांग्रेस के प्रति भी अखिलेश का रुख नरम हो गया था। संभवतः इसीलिए कलातांर में अखिलेश सरकार की मेहरबानी के चलते इस मामले में मायावती के खिलाफ न तो चार्जशीट दाखिल हो सकी और न ही विजिलेंस अपनी जांच पूरी कर पाई।

उधरए मायावती से गठबंधन की संभावनाएं तलाश रहे अखिलेश ने 2014 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद मुलायम सिंह यादव को हाशिये पर और शिवपाल को भी किनारे लगा दिया था। हो सकता है इसके पीछे की वजह अखिलेश को इस बात का अहसास होना होगा कि मुलायम और शिवपाल के रहते बसपा से गठबंधन संभव नहीं है। यहां तक तो सब ठीक चलता रहाए लेकिन तभी एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में दाखिल हो गई। याचिकाकर्ता भावेश पांडेय ने मायावती राज में हुए भ्रष्टाचार की जांच सलीके से नहीं कराए जाने के लिए अखिलेश सरकार की नीयत पर सवाल खड़ा करते हुए आरोप लगाया था कि विजिलेंस द्वारा राजनीतिक दबाव में जांच को लटकाया जा रहा है। इसीलिये जनहित याचिकाकर्ता द्वारा लोकायुक्त की सिफारिश के तहत पूरा मामला सीबीआई को हस्तांतरित किये जाने की अपील की गई। अर्जी में यह भी कहा गया है कि मामले में चूंकि तमाम हाई प्रोफाइल लोग आरोपी हैंए इसलिए इसमें लीपापोती की जा रही है। याचिकाकर्ता ने सीधे तौर पर मायावती का नाम लिए बिना यह आशंका जताई है कि अगर सीबीआई या एसआईटी इस मामले में जांच करती है तो कई और चौंकाने वाले हाई प्रोफाइल लोगों की मिलीभगत भी सामने आ सकती है। अदालत ने इस मामले में सख्त रवैया अपनाते हुए विजिलेंस जांच की स्टेटस रिपोर्ट एक हफ्ते में तलब कर ली और टिप्पणी की कि अरबों के घोटाले का कोई भी दोषी कतई बचना नहीं चाहिए, भले ही वह कितना भी रसूखदार क्यों न हो।

अखिलेश के दाग भी हैं गहरे

मायावती के शासनकाल के भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने का काम करके अखिलेश यादव ने प्रदेश की जनता के साथ विश्वासघात किया था। अखिलेश ने मायावती के भ्रष्टाचार की जांच में ही रोड़ा नहीं अटकायाए बल्कि वह स्वयं भी भ्रष्टाचार के दंगल में फंसते गए। अखिलेश राज में खनन घोटालाए लखनऊ का रिवर फ्रन्ट घोटाला, एक्सप्रेस.वे के लिए भूमि अधिग्रहण में घोटाला और न जाने कौन-कौन से। बीते साल की कैग रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा हुआ कि अखिलेश सरकार में सरकारी धन की जमकर लूट हुई है। सरकारी योजनाओं के नाम पर फर्जीवाड़ा कर 97 हजार करोड़ रुपए के सरकारी धन का बंदरबांट हुआ।

खास बात यह है कि पंचायती राज विभागए समाज कल्याण विभाग और शिक्षा विभाग में अकेले करीब 26 हजार करोड़ रुपए की लूट-खसोट की गई है। देश की सबसे बड़ी ऑडिट एजेंसी कैग ने 31 मार्चए 2017-18 तक यूपी में खर्च हुए बजट की जांच की के बाद यह बात कही थी।

कैग ने कहा कि उत्तर प्रदेश में खर्च हुए कुल धनराशी के लेखा जोखा अखिलेश सरकार के पास नहीं था। खर्चे का उपयोगिता प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं होने से यूपी में बड़े पैमाने पर धनराशि के दुरुपयोग और खर्च में धोखाधड़ी की आशंका है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अखिलेश सरकार के दौरान यूपी में 2014 से 31 मार्च 2017 के बीच हुए करीब ढाई लाख से ज्यादा धन कार्यों के लिए उपयोग किया गया लेकिन इनके उपयोगिता प्रमाणपत्र अखिलेश के पास नहीं हैं।

यूपी में धनराशि के उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा न करने का मामला कई बार शासन के सामने लाया गया मगर कोई सुधार नहीं हुआ। मायावती को बचाने वाले अखिलेश पर भी आजकल जांच एजेंसियों का शिकंजा कसा हुआ है। ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार के मामले में बसपा सुप्रीमो मायावती और सपा प्रमुख अखिलेश यादव चोर-चोर मौसेरे भाई जैसे थे।

युद्ध पहला विकल्प नहीं होता लेकिन अंतिम उपाय जरूर होता है

पाक परस्ती के चलते जो लोग यह कहते हैं कि युद्ध किसी समस्या का विकल्प नहीं होता उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि युद्ध किसी समस्या का पहला विकल्प नहीं होता लेकिन अंतिम उपाय और एकमात्र समाधान अवश्य होता है।

पुलवामा की आतंकवादी घटना के बाद से जिस प्रकार के कदम हमारी सरकार राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठा रही है उससे ना सिर्फ देश में एक सकारात्मक माहौल उत्पन्न हुआ है बल्कि इन ठोस कदमों ने हमारे सुरक्षा बलों के मनोबल को भी ऊंचा किया है। लेकिन यह खेद का विषय है कि सरकार के जिन प्रयासों का स्वागत पूरा देश कर रहा है उनका विरोध देश की सबसे पुरानी राजनैतिक पार्टी कांग्रेस समेत जम्मू कश्मीर के स्थानीय विपक्षी दल कर रहे हैं। काश कि ये समझ पाते कि इनका गैर जिम्मेदाराना और सरकार विरोधी आचरण देश विरोध की सीमा तक जा पहुंचा है क्योंकि अपने राजनैतिक हितों के चलते इन लोगों ने कश्मीर समस्या को और उलझाने का ही काम किया है।

पाक परस्ती के चलते जो लोग यह कहते हैं कि युद्ध किसी समस्या का विकल्प नहीं होता उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि युद्ध किसी समस्या का पहला विकल्प नहीं होता लेकिन अंतिम उपाय और एकमात्र समाधान अवश्य होता है। श्रीकृष्ण ने भी कुरुक्षेत्र की भूमि पर गीता का ज्ञान देकर महाभारत के युद्ध को धर्म सम्मत बताया था। और जो लोग यह कहते हैं कि 1947 से लेकर आजतक कश्मीर के कारण भारत और पाकिस्तान में कई युद्ध हो चुके हैं तो क्या हुआ? तो उनके लिए यह जानना आवश्यक है कि हर युद्ध में हमारी सैन्य विजय हुई लेकिन राजनैतिक हार। हर युद्ध में हम अपनी सैन्य क्षमता के बल पर किसी न किसी नतीजे पर पहुंचने के करीब होते थे लेकिन हमारे राजनैतिक नेतृत्व हमें किसी नतीजे पर पहुंचा नहीं पाए। यह वाकई में शर्म की बात है कि हर बार हमारी सेनाओं द्वारा पाकिस्तान को कड़ी शिकस्त देने के बावजूद हमारी सरकारें कश्मीर समस्या का हल नहीं निकाल पाईं।

हर बार दुश्मन से सैन्य मोर्चे पर विजय प्राप्त कर लेने के बाद भी हम राजनैतिक और कूटनीतिक मोर्चे पर विफल रहे, 1948 में जब हमारी सेनाएँ पाक फौज को लगातार पीछे खदेड़ने में कामयाब होती जा रही थीं तो कश्मीर मामले को संयुक्तराष्ट्र क्यों ले जाया गया? क्यों 1965 में हमें भारतीय सेना द्वारा पाक का जीता हुआ भू भाग वापस करना पड़ा। 1971 में जब पाक ने अपनी पराजय स्वीकार करी थी और भारतीय सेना के समक्ष 90000 हज़ार पाक सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था तब संपूर्ण कश्मीर लेकर उसका स्थाई समाधान ना करके शिमला समझौता क्यों किया गया ?

इसे राजनैतिक इच्छा शक्ति का अभाव कहा जाए या मजबूरी ? कारण जो भी रहा हो लेकिन कहना गलत नहीं होगा कि हमारे द्वारा इतिहास में की गईं कुछ गलतियों की सज़ा पूरा देश आजतक भुगत रहा है खासतौर पर हमारी सेनाएँ और उनके परिवार। पहले जो पाकिस्तान आमने सामने से युद्ध करता था, अब आतंकवादियों के सहारे छिप कर वार करता है। लेकिन इस बार भारत का नेतृत्व इस मुद्दे पर आरपार की निर्णायक लड़ाई के लिए अपनी इच्छा शक्ति जता चुका है जिसका स्वागत पूरे देश ने किया। लेकिन इसे क्या कहा जाए कि आज जब देश की हर जुबाँ पर पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने की बात है तो महबूबा पाकिस्तान से बातचीत की वकालत करती हैं। जब घाटी में अलगाववाद को बढ़ावा देने वाले अलगाववादी नेताओं को गिरफ्तार किया जाता है तो वो विरोध करती हैं।

35 और 370 की बात आती है तो विरोध करती हैं। दरअसल इस प्रकार के नेता और उनके राजनैतिक स्वार्थ ही कश्मीर की समस्या के मूल में हैं। जब हमारे सैनिक इनकी रक्षा में शहीद होते हैं तब ये लोग आतंकवादियों से हथियार छोड़ कर बात करने के लिए क्यों नहीं कहते इसके विपरीत जब हमारी सेना कार्यवाही करने लगती है तो ये बातचीत से मुद्दे का हल निकालने की बात करते हैं। जब हमारी सेनाओं पर पत्थरबाजी होती है तो इन्हें पत्थरबाज भटके हुए बच्चे लगते हैं लेकिन जब अपने बचाव में इन पत्थरबाज़ों पर सेना कोई भी कार्यवाही करती है तो वो इन्हें सेना का अत्याचार दिखाई देता है।

आखिर क्यों हमारे निहत्ते सैनिकों पर हमला करने वाले अब्दुल डार में इन्हें एक आतंकवादी नहीं एक भटका हुआ कश्मीरी दिखाई देता है। भले ही घाटी से पंडितों को खदेड़ दिया गया हो और विरोध में इन्होंने एक शब्द ना बोला हो क्योंकि कश्मीर पर सिर्फ कुछ विशेष कौमों का अधिकार है लेकिन इनका पूरे देश पर अधिकार है। इनका अधिकार है कि भारत सरकार इनकी सुरक्षा करे लेकिन ये भारत की सुरक्षा में कोई योगदान नहीं देंगे। इनका अधिकार है कि जब कोई प्राकृतिक आपदा आए तो भारत सरकार इनकी मदद करे लेकिन जब भारत पर आपदा आए तो इनका कोई दायित्व नहीं। यह इनका अधिकार है कि भारत सरकार जम्मू-कश्मीर के पृथक संविधान और ध्वज का सम्मान करे लेकिन भारत के संविधान और ध्वज का अपमान कश्मीर में हो सकता है। यह इनका अधिकार है कि भारत सरकार कश्मीर की संप्रभुता की रक्षा करे लेकिन भारत की संप्रभुता से इन्हें कोई लेना देना नहीं।

यह इनका अधिकार है कि एक कश्मीरी भारत में कहीं भी रह सकता है भारत सरकार उसकी सुरक्षा करे लेकिन पूरे देश की सुरक्षा करने वाले सैनिक खुद भी कश्मीर में सुरक्षित नहीं हैं। क्योंकि इनका मानना है कि इनकी सुरक्षा में सुरक्षा बलों का शहीद हो जाना उनका फ़र्ज़ है और भारत सरकार से अपने लिए सहायता और सुरक्षा लेना इनका अधिकार है। लेकिन जिस सरकार से ये अपने लिए अधिकार मांगते हैं क्या उसके प्रति इनका कोई दायित्व नहीं है ? जिस सेना से ये बलिदान मांगते हैं क्या उनके प्रति इनके कोई फ़र्ज़ नहीं है ? इसलिए जरूरत है समय की नजाकत को समझा जाए। देशविरोधियों के चेहरों पर से नकाब हटाए जाएं।

अगर 370 और 35 संविधान से हटाना नामुमकिन है तो संविधान में संशोधन करके एक और धारा जोड़ना तो मुमकिन है ? तो एक नई धारा जोड़ी जाए कि हर भारतीय की तरह कश्मीर के लिए भी भारत के संविधान, ध्वज, सेना और संप्रभुता का सम्मान और रक्षा सर्वोपरि होगी और भारत की अखंडता के खिलाफ किसी प्रकार की गतिविधि दंडनीय अपराध होगी। चूंकि कश्मीर भारत का ही अंग है इसलिए कश्मीर का ध्वज अकेले नहीं हमेशा भारत के ध्वज के साथ ही फहराया जाएगा।